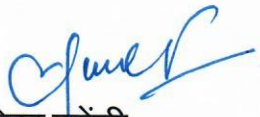


प्रपत्र - 27

परियोजना का नाम :— Construction of 220 kV double circuit transmission line from new 400/220 kV GIS Jauljibi substation to 220 kV Pithoragarh substation and LILOs line of 400/kV D/C of Dhauliganga- Barreilly line at 400/220 kV GIS Jauljibi substation under Northern Region system strengthening scheme(NRSSH-XXXVII)

भू वैज्ञानिक की संस्तुतियों / सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू वैज्ञानिक द्वारा दिये गये संस्तुतियों / सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।


प्रयोक्ता एजेंसी

Asst. General Manager
Power Grid Corporation of India Limited
400 KV GIS, Jauljibi, Pithoragarh

परियोजना का नाम :- Construction of 220 kV double circuit transmission line from new 400/220 kV GIS Jauljibi substation to 220 kV substation Pithoragarh and LILOs line of 400kV D/C of Dhauliganga- Bareilly line at 400/220 kV GIS Jauljibi substation under Northern Region system strengthening scheme(NRSSS-XXXVII)

मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाण पत्र

मानक शर्तें

1. भूमि हस्तांतरण के बाद भी उसकी वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भांति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्रुत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जाएगा व अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जाएगा।
3. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।
4. वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि आवेदित भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. प्रयोक्ता एजेंसी उसके कर्मचारी अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बंधित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर का भुगतान प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता एजेंसी सहमत है।
6. परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित भूमि का सीमांकन प्रयोक्ता एजेंसी के के व्यय से सम्बंधित अधिकारी की देख रेख में किया जाएगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारों का रख रखाव किया जाएगा।
7. हस्तांतरित वन भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर प्रयोक्ता एजेंसी को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जंतुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तांतरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबंध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन जंतुओं के स्वच्छन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तांतरित की जाएगी।
9. सिंचाई विभाग / जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरीयों को एवं वन विभाग कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।
10. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्तांतरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा अन्य विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः किसी प्रतिकर के भुगतान किये बिना वन विभाग को वापस हो जाएगा। वन भूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता एजेंसी को न होने पर हस्तांतरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वन विभाग को प्राप्त हो जाएगी।
11. निर्माण के प्रस्तावों पर संरक्षण तय करतें समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बंध में मुख्य अभियंता लो0नि0वि0 को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10-2-82 में निहित आदेशों का पालन भी लो0नि0वि0 द्वारा किया जाएगा। वन भूमि पर अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का सुदृढीकरण / चौड़ीकरण कार्य करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य है।
12. प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन भूमि का मूल्य सम्बंधित जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में जमा कराया जाएगा।
13. भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।


Asst. General Manager
Power Grid Corporation of India Limited
400 KV GIS, Jauljibi, Pithoragarh

14. हस्तान्तरित भूमि पर पडने वाले वृक्षों के प्रतिकार में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्तांतरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि ना उपलब्ध होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन विभाग को किया जाएगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बाज के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण सम्बंधित वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि पर प्रस्तावित विधुत पारेषण लाईन के नीचे यथासम्भव पेड़ों का पातन नहीं किया जाएगा व पारेषण लाईन के खम्भों को ऊंचा कर अधिक से अधिक संख्या में पेड़ों को बचाया जाएगा। यदि फिर भी पेड़ों का पातन अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बंधित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जाएगी।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है तो प्रयोक्ता एजेंसी उक्त कार्य को स्वयं के व्यय से करायेगा।
17. उपरोक्त मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती है तो प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उनका पालन अनिवार्य होगा।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तांतरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों का पूरा अनुपालन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा किया गया हो अथवा सक्षम स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखंड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें प्रयोक्ता एजेंसी को मान्य है।


प्रयोक्ता एजेंसी

Asst. General Manager
Power Grid Corporation of India Limited
400 KV GIS, Jauljibi, Pithoragarh



1: ALL DIM. ARE IN MM UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

- 2 : WEEP HOLES SHOULD BE OF SIZE 100mm x 100mm OR 150mm x 150mm INCASE OF LARGE SIZE REVETMENT.

3: WEEP HOLES SHOULD BE 2.5M C-C APART HORIZONTAL

4: CENTER OF TOP MOST WEEP HOLES TO BE NOT LESS THAN 300 mm BELOW TOP

5: THE MIN. DEPTH OF REVETMENT WALL BELOW G.L. WILL BE 600mm

6: DIM. 'B' ARE VALID ONLY FOR 'H' NOT EXCEEDING 5.00 METER

7 : SIZE OF STONE FOR MASONRY WORK. 300 x 150 x 150 & BELOW .

3: THE MASONRY WORK SHOULD BE CARRIED OUT IN 1:5 CEMENT MORTAR

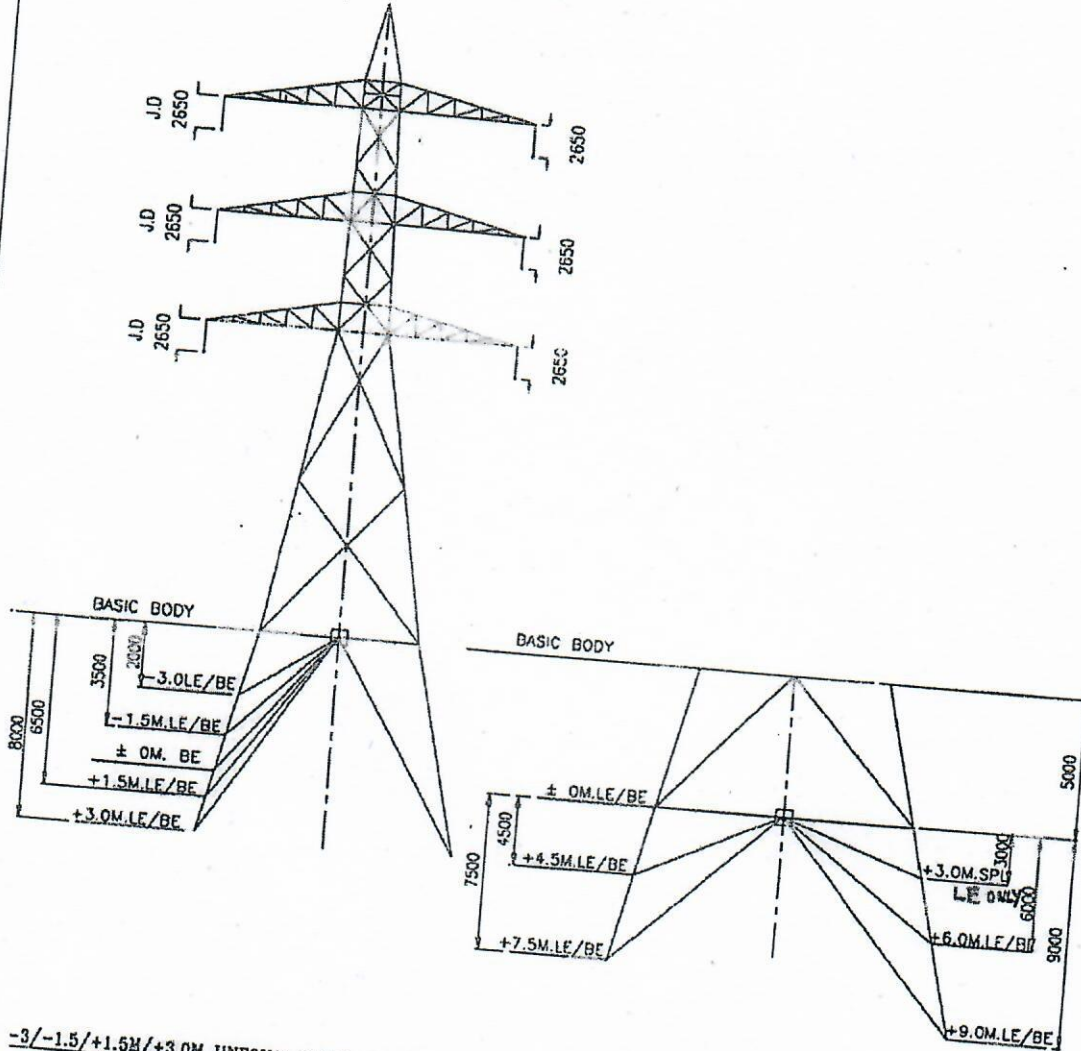
3 : SIZE OF STONE PACKING AT WEEP HOLE 75 mm TO 150mm

FOR BID PURPOSE ONLY

	POWER GRID CORP. OF INDIA LTD
PROJECT	11 KV TRANSMISSION SYSTEM
TITLE	PROTECTION OF TOWER FOOTING (DOWN/UP)
DWG NO.	TL/STD/PTE

T L / STD / PTF

TYPE "DB/DC/DD" TOWER
KEY SKETCH FOR LEG/BODY EXTENSIONS



-3/-1.5/+1.5M/+3.0M UNEQUAL LEG/BODY EXTNS.
AT BASIC BODY LEVEL

+3.0 SPL/+4.5/+8/+7.5/+9.0M UNEQUAL LEG/BODY EXTNS.
AT ±0M. (NORMAL) TOWER LEVEL

NOTE: MAXIMUM 3.0 M LEG LEVEL DIFF.
IN UNEQUAL LEG EXTENSION PROVISION.

SL.NO	DATE	FIRST ISSUE	REVISION	INITIALS

CLIENT	POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
PROJECT	220 KV O/C (WZ-5) NERPSIP ASSAM/HAILAND TRANSMISSION LINE
SPECN NO.-	
DESIGNED BY	AS
CHECKED BY	AS
REVIEWED BY	EN
SCALE	1 OF 1
SHEET NO.	
DRAWING NO.	120/2200-C/00 DC 10/NERPSIP ASSAM/HAILAND
REV	0

Signature